सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा

बनाम

श्रीमती. रमावती और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 6634 वर्ष 2019)

16 अगस्त 2019

[दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति]

वकील: फीस भुगतान को लेकर वकीलों के बीच विवाद - वर्तमान मामले में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पद पर आसीन अपीलकर्ता के समक्ष एक दावा याचिका दायर की गई थी जिसमें दो वकीलों द्वारा वकालतनामा दायर किया गया था - दावेदार और बीमा कंपनी के बीच समझौता हुआ और एक वकील ने हस्ताक्षर किए - दूसरे वकील ने आपत्ति जताई कि उसकी फीस का भुगतान नहीं किया गया है और इसलिए, समझौते को दर्ज नहीं किया जाना चाहिए - अपीलकर्ता ने दूसरे वकील के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और माना कि समझौता याचिका केवल इस वकील के माध्यम से दायर की जा सकती है - इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई - हाई कोर्ट ने आदेश रद्द किया- माना गया: आदेश को रद्द करने में उच्च न्यायालय सही था - मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में वकीलों के बीच विवाद के कारण दावेदारों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए - फीस के संबंध में वकीलों के बीच विवाद को सुलझाना किसी भी अदालत का काम नहीं है - यदि किसी वकील की ओर से किसी अन्य वकील की जिम्मेदारी लेने में कोई कदाचार होता है, तो आम तौर पर विवाद को निपटाने का काम बार काउंसिल का होता है, न कि अदालत का - बार काउंसिल।

न्यायपालिका: अधीनस्थ न्यायपालिका -फैसले में न्यायिक अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर प्रतिकूल/अपमानजनक/कट्टर टिप्पणियाँ की गईं - आक्षेपित निर्णय में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध कुछ टिप्पणियाँ कीं- न्यायिक अधिकारी ने उनकी नेकनीयती पर सवाल उठाए और उनकी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाए और उन पर वकील का पक्ष लेने का भी आरोप लगाया और न्यायिक पक्ष को निर्देश दिया कि मामले को उचित कार्रवाई के लिए प्रशासनिक पक्ष को भेजा जाए - माना गया: प्रशासनिक पक्ष की ओर से मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस अनुरोध के साथ रखना उचित है कि संबंधित न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए - इस मामले में, उच्च न्यायालय ने ऐसा किया, लेकिन साथ ही तीखी टिप्पणियाँ भी दीं, जिसका वस्तुत: मतलब यह था कि अपीलकर्ता को उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू होने से पहले ही दोषी ठहराया गया था -उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारी को अयोग्य और भ्रष्ट व्यक्ति करार देकर अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया - टिप्पणियाँ हटा दी गई हैं - न्यायिक अधिकारी पर लगाया गया खर्च भी अलग रखा गया है - लागत।

ईश्वरी प्रसाद मिश्र बनाम मोहम्मद ईसा [1963] 3 एससीआर 722 ; के पी तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1994 एससी 1031: [1993] 3 पूरक। एससीआर 497 ; प्रकाश सिंह तेजी बनाम नॉर्दर्न इंडिया गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2009) 12 एससीसी 577: [2009] 6 एससीआर 278; 'के' में एक न्यायिक अधिकारी बनाम रजिस्ट्रार जनरल, एपी उच्च न्यायालय एआईआर 2010 एससी 2801 - पर भरोसा किया गया।

केस लॉ रेफरेंस [1963] 3 एससीआर 722 पैरा 5 पर भरोसा करते हैं [1993] 3 सप्त एससीआर 497 पैरा 6 पर भरोसा करते हैं [2009] 6 एससीआर 278 पैरा 7 पर भरोसा करते हैं एआईआर 2010 एससी 2801 पैरा 8 पर भरोसा करते हैं

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6634 वर्ष 2019

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 05.11.2012 के विरुद्ध रिट याचिका संख्या 25607 वर्ष 2012 में ।

शास्वत गोयल, विभव मिश्रा, सुश्री रुचिका शर्मा (एम.पी. शोरावाला के लिए, अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

आदेश

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलकर्ता, एक न्यायिक अधिकारी, प्रासंगिक समय पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का पद संभाल रहा था। उनके समक्ष एक दावा याचिका दायर की गई थी जिसमें दो वकील श्री आर एम सिंह और श्री डी के सक्सेना द्वारा वकालतनामा दायर किया गया था। दावेदार और बीमा कंपनी के बीच मामला सुलझा लिया गया और निपटान याचिका दायर की गई और श्री डी के सक्सेना द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। उस समय, श्री आर एम सिंह ने आपत्ति जताई कि उनकी फीस का भुगतान नहीं किया गया है और समझौता दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। यहां अपीलकर्ता ने श्री आर एम सिंह के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और माना कि समझौता याचिका केवल श्री आर एम सिंह के माध्यम से दायर की जा सकती है, न कि श्री डी के सक्सेना द्वारा। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चूंकि वकालतनामा में अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 10/- रुपये की राशि का प्रावधान है, इसलिए केवल एक वकील को ही अधिकृत किया जा सकता है, इससे अधिक को नहीं।

3. इस आदेश को चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने सही ही आदेश को रद्द कर दिया। फीस के भुगतान के संबंध में वकीलों के बीच विवाद का निपटारा करना किसी भी न्यायालय का काम नहीं है। यदि किसी वकील की ओर से किसी अन्य वकील की ब्रीफिंग लेने में कोई कदाचार होता है, तो आम तौर पर विवाद को निपटाने का काम बार काउंसिल का होता है, न कि कोर्ट का। उच्च न्यायालय ने यह उचित निर्णय दिया कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में दावेदारों को वकीलों के बीच विवाद के कारण परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसा मानने के बाद, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ कुछ टिप्पणियाँ कीं, जिसमें उनकी नेकनीयती पर सवाल उठाए गए और उनकी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाए गए और उन पर श्री आर एम सिंह का पक्ष लेने का भी आरोप लगाया गया। उच्च न्यायालय ने न्यायिक पक्ष को यह भी निर्देश दिया कि मामले को उचित कार्रवाई के लिए प्रशासनिक पक्ष को भेजा जाए। जहां तक टिप्पणियों का सवाल है, हमारा स्पष्ट मानना है कि फैसले में अपीलकर्ता के खिलाफ की गई सभी प्रतिकूल टिप्पणियां, जिससे उसकी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाया गया है या जिससे उसके चरित्र, न्यायिक आदेशों या अन्य पर लांछन लगाए गए हैं, उन्हें समाप्त किया जाना तय है।

4. इस न्यायालय ने कई मामलों में चेतावनी दी है कि न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी आम तौर पर निर्णयों में पारित नहीं की जानी चाहिए। हम एक ऐसी प्रणाली का पालन करते हैं जहां किसी न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक जांच के अधीन होता है। निर्णय सही या गलत हो सकता है, लेकिन उच्च न्यायालयों को निचली अदालतों के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ केवल इसलिए तीखी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं।

5. ईश्वरी प्रसाद मिश्रा बनाम मोहम्मद ईसा [(1963) 3 एससीआर 722] में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर यह दिखाया गया है कि किसी मामले में ट्रायल कोर्ट का निर्णय एक भ्रष्ट मकसद का परिणाम है, तो उच्च न्यायालय को इसकी निंदा करनी चाहिए और मामले में उचित कदम उठाने चाहिए। लेकिन कड़ी भाषा का प्रयोग और भ्रष्ट इरादों का आरोप हल्के-फुल्के ढंग से नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि जिस न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं उसके पास अपनी स्थिति को सही साबित करने के लिए कानून में कोई उपाय नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि न्यायिक प्रशासन को निर्भय होना चाहिए; न्यायाधीशों को उनके समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए साक्षय के संबंध में बिना किसी पक्षपात या भय के अपने निष्कर्ष व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए; और इसलिए, मौखिक साक्षय के बारे में अपनी सराहना व्यक्त करने की न्यायिक शक्ति बहुत व्यापक है। लेकिन उक्त शक्ति की व्यापकता के कारण अनिवार्य रूप से इसके प्रयोग पर कुछ स्वस्थ प्रतिबंध लगने चाहिए।"

6. केपी तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य [एआईआर 1994 एससी' में, इस न्यायालय ने इस प्रकार देखा:

"उच्च न्यायालयों को हर दिन निचली अदालतों के आदेश मिलते हैं जो कानून या वास्तव में उचित नहीं हैं और उन्हें संशोधित करते हैं या अलग कर देते हैं। यह उच्च न्यायालयों के कार्यों में से एक है। हमारी कानूनी प्रणाली न्यायाधीशों की ग़लती को स्वीकार करती है और इसलिए अपील और संशोधन का प्रावधान करती है। एक न्यायाधीश अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास करता है। ऐसा करते समय, कभी-कभी उससे गलती होने की संभावना रहती है। यह संभव है कि एक विशेष न्यायिक अधिकारी न्यायिक आचरण पर संदेह पैदा करते हुए लगातार आदेश पारित कर रहा हो, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से निर्दोष कामकाज के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसे मामलों में भी, उच्च न्यायालय के लिए उचित कदम यह है कि उसके कार्य के गोपनीय रिकॉर्ड में उसके आचरण को नोट किया जाए और उचित अवसरों पर उसका उपयोग किया जाए। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों का यह भी कर्तव्य है कि वे सभी संबंधित पक्षों से न्यायिक अनुशासन और न्यायपालिका के प्रति सम्मान सुनिश्चित करें। न्यायपालिका के प्रति सम्मान तब नहीं बढ़ता जब निचले स्तर पर न्यायाधीशों की असंयमित आलोचना की जाती है और सार्वजनिक रूप से उन्हें फटकार लगाई जाती है। न्याय प्रशासन और न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को इससे बड़ी कोई क्षति नहीं हो सकती जब उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश सार्वजनिक रूप से किसी न किसी कारण से अधीनस्थ न्यायाधीशों में विश्वास की कमी व्यक्त करते हैं। यह याद रखना चाहिए कि जिन अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से ऐसी सख्तियां लागू की जाती हैं, वे अपने अधीनस्थों और जनता के सदस्यों की नजर में हमेशा के लिए निंदा के पात्र बन जाते हैं। न्यायपालिका को भीतर से नष्ट करने के लिए इससे बेहतर कोई उपकरण नहीं मिल सकता। इसलिए, न्यायाधीशों को आत्म-संयम बरतना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के प्रति असहमति व्यक्त करने के कई तरीके और तरीके हैं लेकिन उनके लिए उद्देश्यों को जिम्मेदार ठहराना निश्चित रूप से उनमें से एक नहीं है। यह न्यायपालिका को नीचे ले जाने का सबसे अचूक तरीका है।''

7. प्रकाश सिंह तेजी बनाम नॉर्दर्न इंडिया गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य [(2009) 12 एससीसी 577] में, इस न्यायालय ने इस प्रकार देखा:

"हम मामले को नए सिरे से निपटान के लिए ट्रायल कोर्ट में भेजने के उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले को कम नहीं आंक रहे हैं। हालाँकि, हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि उच्च

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

न्यायालयों को हर दिन निचली अदालतों के आदेश मिलते हैं जो कानून या वास्तव में उचित नहीं हैं और उन्हें संशोधित करते हैं या रद्द कर देते हैं। हमारी कानूनी प्रणाली न्यायाधीशों की ग़लती को स्वीकार करती है, इसलिए यह अपील और संशोधन का प्रावधान करती है। एक न्यायाधीश अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास करता है, हालाँकि, कभी-कभी गलती होने की संभावना होती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निचले न्यायिक अधिकारी अधिकतर तनावपूर्ण माहौल में काम करते हैं और लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव में रहते हैं। उन्हें वे लाभ नहीं मिलते जो ऊपरी अदालतों में मिलते हैं। उन परिस्थितियों में, टिप्पणियों/टिप्पणियों और सख्ती से बचना चाहिए, खासकर यदि अधिकारी के पास अपना तर्क रखने का कोई अवसर न हो।''

8. 'के' ए न्यायिक अधिकारी बनाम रजिस्ट्रार जनरल, एपी उच्च न्यायालय [एआईआर 2010 एससी 2801] में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: - "उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच को निषेधाज्ञा के आदेश को रद्द करने में पूरी तरह से उचित ठहराया जा सकता है लेकिन डिवीजन बेंच के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ अत्यधिक अपमानजनक टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि एक न्यायिक अधिकारी ने मामलों को निष्पक्ष रूप से तय करने की उनकी क्षमता पर संदेह जताया था। पैराग्राफ 10 में 'अहंकार और कानूनी आदेश के अनादर के कारण' और 'न्यायिक अधिनायकवाद' शब्दों के इस्तेमाल से पता चलता है कि डिवीजन बेंच ने इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में दी गई सावधानी के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया, जिनमें ऊपर उल्लिखित फैसले भी शामिल हैं और बिना किसी कारण के अपीलकर्ता को फटकार लगाई। उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा की गई टिप्पणियों और टिप्पणियों से जनता की नजर में अपीलकर्ता की छवि, एक न्यायिक अधिकारी के रूप में उनकी विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उनके करियर पर भी असर पड़ेगा। हमें यकीन है कि यदि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखा होता, तो उसने अपीलकर्ता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं की होती, जो कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बिल्कुल भी आवश्यक नहीं थी। ।" वर्तमान मामले में, विशेष रूप से पैरा 15 की टिप्पणियाँ न्यायिक अधिकारी की ईमानदारी पर सवाल उठाती हैं। यहां तक कि अगर उच्च न्यायालय को इतनी दृढ़ता से महसूस हुआ कि कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो प्रशासनिक पक्ष की ओर से मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस अनुरोध के साथ रखा जाना चाहिए कि संबंधित न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मामले में, उच्च न्यायालय ने ऐसा किया, लेकिन साथ ही तीखी टिप्पणियाँ भी पारित कीं, जिसका वस्तुतः मतलब यह था कि अपीलकर्ता को उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू होने से पहले ही दोषी ठहराया गया था।

9. उच्च न्यायालय निश्चित रूप से कह सकता है कि पारित आदेश कानून के ज्ञान की पूर्ण कमी को दर्शाता है। लेकिन जब उच्च न्यायालय ने आगे बढ़कर न्यायिक अधिकारी को एक अयोग्य और भ्रष्ट व्यक्ति के रूप में फटकार लगाई तो हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया और ऐसी टिप्पणियों को समाप्त करने की आवश्यकता है।

10. तदनुसार, हम ऐसी सभी टिप्पणियों को हटा देते हैं और निर्णय के पैरा 15 को हटाने का निर्देश देते हैं।

11. जहां तक अपीलकर्ता पर 10,000/- रुपये की लागत लगाने का सवाल है, हमने आदेश को भी रद्द कर दिया है। आम तौर पर, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर लागत नहीं लगाई जाती है और इस प्रथा को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

12. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि जहां तक प्रशासनिक कार्रवाई का सवाल है, इसे पहले ही रद्द कर दिया गया है और वह इस संबंध में राहत के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं।

13. तदनुसार, सिविल अपील की अनुमति दी जाती है और हम अपीलकर्ता के खिलाफ की गई सभी टिप्पणियों को हटाने का निर्देश देते हैं और आगे निर्देश देते हैं कि आक्षेपित निर्णय का पैरा 15 सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए हटा दिया जाएगा।

देविका गुजराल अपील स्वीकृत।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"